an>

Title: Regarding alleged discriminatory policy towards OBC community.

श्री राजेन गोहेन (नौगोंग) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में जो आरक्षण व्यवस्था है उस आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से 27 प्रतिशत ओबीसी, 7.5 प्रतिशत एसटी और 15 प्रतिशत एससी, टोटल 49.5 प्रतिशत आरक्षण है। अभी देश की जो आबादी है उसमें से एमओबीसी, ओबीसी, एसटी और एससी को ले कर कम से कम 80 प्रतिशत देश की आबादी इन कम्युनिटियों की हैं। इस हिसाब से इंजस्टिस है। फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण है उसमें क्रिमी लेयर और नॉन-क्रिमी लेयर दो हिस्सों में इन्हें बांटा गया है। किस आधार पर इनको बांटा गया है और किसलिए बांटा गया है? आज हम सांसद बन गए हैं। कल तक हम आम आदमी थे। सांसद बनने के बाद हम क्रिमी लेयर में आ गए होंगे। हमारे बच्चे की कंपेटिटिव इफीएंशी तो बढ़ी नहीं है। उस हिसाब से हमारे बच्चे को वंचित किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ओबीसी के साथ क्रिमी लेयर और नॉन-क्रिमी लेयर लगाया है, तो बाकी एससी और एसटी के साथ भी यह लगाया जाना चाहिए, उनमें भी काफी क्रिमी लेयर के लोग होते हैं। यह अन्याय खत्म होना चाहिए। जो ओबीसी हैं, सबको ओबीसी कैटेगरी में लाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेन गोहेन द्वारा शून्य काल में उठाए गए विषय के साथ श्री धर्मेन्द्र यादव अपने-आपको संबद्ध करते हैं।

â€¦(व्यवधान)